बिक्री अधिसूचना

(उत्पाद प्रपत्र 127)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या 903 दिनांक 21.05.2025 द्वारा अधिसूचित "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 718 दिनांक 26.03.2026 द्वारा अधिसूचित "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) (संशोधन) नियमावली, 2026" में वर्णित नियमों / शर्तों के तहत कोडरमा जिला के लिए 01(एक) "ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकानों" की बंदोबस्ती इस अधिसूचना के अनुसूची में वर्णित दुकानों के समूह के अनुसार दिनांक 23.05.2026 अथवा आवश्यकतानुसार अगले कार्य दिवस को 11:30 पूर्वाह्न से ई–लॉटरी विधि से किया जायेगा।

2. ई–लॉटरी के ऑनलाईन प्रसारण का लिंक विभागीय वेबसाईट https://excise.jharkhand.gov.in एवं जिला के NIC वेबसाईट **www.Koderma.nic.in** पर उपलब्ध रहेगा। ई–लॉटरी का ऑनलाईन टेलीकास्ट जिला समाहरणालय में आवेदकों द्वारा देखा जा सकेगा। बंदोबस्ती हेतु आवेदन दिनांक 13.05.2026 के प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 22.05.2026 के रात्रि 10:00 बजे तक समर्पित की जा सकेगी। आवेदन https://exciselottery.jharkhand.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन विधि से समर्पित की जायेगी। ई–लॉटरी में प्रतिभागिता के लिए संबंधित दुकान / दुकान समूह हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि तथा आवेदन शुल्क का भुगतान Credit Card / Debit Card / NET Banking / NEFT / RTGS / IMPS इत्यादि ऑनलाइन विधि से उक्त पोर्टल पर प्राप्त किया जायेगा।

3. खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती में भाग लेने की अर्हता, आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजात, लॉटरी की प्रक्रिया, दुकानों हेतु आवेदन समर्पित करते समय जमा किये जाने वाले शुल्क तथा लॉटरी में सफल होने के पश्चात आवेदक द्वारा जमा किया जाने वाला जमानत की राशि, अनुज्ञप्ति शुल्क एवं अग्रिम उत्पाद परिवहन कर, दुकानों की कालावधि, अनुज्ञप्तियों के संचालन की सामान्य शर्तें एवं संचालन प्रक्रिया, नवीकरण की शर्तें, अनुज्ञप्तियों का निलंबन, निरस्तीकरण और शास्तियों से संबंधित शर्तें "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" तथा "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) (संशोधन) नियमावली, 2026" में वर्णित शर्तों के अनुरूप होंगी एवं ये सभी बिक्री अधिसूचना की शर्तें समझी जायेंगी।

उपायुक्त,
कोडरमा।

Scanned with CamScanner

ज्ञापांकः 212 / उ०, कोडरमा दिनांकः 11 / 05 / 2026

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची / आयुक्त उत्पाद, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः— आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः— सभी उपायुक्त, झारखंड / सभी पुलिस अधीक्षक, झारखंड / सभी उप विकास आयुक्त, झारखंड को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः— पुलिस अधीक्षक, कोडरमा / उप विकास आयुक्त, कोडरमा / अपर समाहत्ता, कोडरमा को सूचनार्थ एवं वृहद प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः— अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं वृहद प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः— सभी उपायुक्त उत्पाद / सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/ सभी अधीक्षक उत्पाद, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं वृहद प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः— सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी अंचल अधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं वृहद प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः— जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं वृहद प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं वृहद प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित । निदेशित किया जाता है कि उक्त बिक्री अधिसूचना को जिला वेब साईट https://koderma.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपिः— अधीक्षक उत्पाद, कोडरमा / सभी अवर निरीक्षक उत्पाद, कोडरमा को सूचनार्थ एवं वृहद प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः— उपायुक्त का कार्यालय अधीक्षक, कोडरमा को सूचनार्थ एवं निर्देश है कि उक्त बिक्री अधिसूचना की एक प्रति समाहरणालय के सूचना पट्ट पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रदर्शित किया जाय ।

11/05

उपायुक्त,
कोडरमा।

Scanned with CamScanner

"झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" एवं "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) (संशोधन) नियमावली, 2026" के अंतर्गत खुदरा उत्पाद दुकानों की ई–लॉटरी द्वारा बंदोबस्ती हेतु समूहवार दुकानों का विहित प्रपत्र (अनुसूची)

Sl. No. क्र० सं०	Group Name समूह का नाम	Licence No अनुज्ञा संख्या	Shop Name दुकान का नाम	Shop Type दुकान का प्रकार (CL / COM)	Location of Shop दुकान की अवस्थिति (नगर निगम क्षेत्र से 3 कि०मी०/नगर परिषद क्षेत्र से 2 कि०मी०/नगर पंचायत क्षेत्र से 1 कि०मी० की परिधि तक/प्रखण्ड मुख्यालय/ग्रामीण क्षेत्र)	Annual License Fee वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (नियम 22(V) के आलोक में)	Annual Minimum Guaranteed Revenue "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के आलोक में वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व	Minimum Guaranteed Revenue न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व	Excise Duty उत्पाद कर	Excise Transport उत्पाद परिवहन कर	Security Deposit जमानत राशि (नियम–22 (iii) के आलोक में)	Advance ETD अग्रिम उत्पाद परिवहन कर (नियम–22 (iv) तथा अनुसूची–1 कंडिका–8 के आलोक में)	Earnest Money Deposit धरोहर धन राशि (नियम –2 (xxviii) तथा नियम–22(ii) के आलोक में)	Application Fee आवेदन शुल्क including 18% GST (नियम –2 (xxi) तथा नियम –22 (i) के आलोक में)	Total Payable Amount at filing Application Fee including 18% GST आवेदन के समय जमा की जाने वाली कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14+15)
1	KOD_GRP_018_COM	027_COM_KOD_26-27	Composite liquor shop, Dhodhakola-Parho Panchayat area (Block-Domchanch), Dhodhakola-Parho Panchayat	COMPOSITE LIQUOR SHOP	ग्रामीण क्षेत्र	50000.00	51261878.00	51261878.00	5126188.00	46135691.00	2563094.00	3844641.00	1025238.00	11800.00	1037038.00
Total KOD_GRP_018_COM						50000.00	51261878.00	51261878.00	5126188.00	46135691.00	2563094.00	3844641.00	1025238.00	11800.00	1037038.00
GRAND TOTAL						50000.00	51261878.00	51261878.00	5126188.00	46135691.00	2563094.00	3844641.00	1025238.00	11800.00	1037038.00

उपायुक्त,
कोडरमा।

Scanned with CamScanner